प्रपत्र अ तकनीकी बिड
निविदा जमा कराने की तिथि – 05.09.2011
समय 3.00 बजे तक

कार्य की अनुमानित लागत रूपये – 72.50 लाख

निविदा प्रपत्र शुल्क–500 रूपये

<u>बाह्य रोगी उपचार पत्र (कार्बन रहित पेपर) मुद्रण कार्य हेतु निविदा प्रपत्र</u>

1. बाह्य रोगी उपचार पत्र (कार्बन रहित पेपर)_मुद्रण कार्य के लिए निविदा।
2. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम, डाक का पता एवं टेलीफोन नं. लेण्डलाईन, मोबाईल व ई–मेल सहित ....
....
....
3. किसको संबोधित किया गया – प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर।
4. निविदा सूचना संदर्भ – 217/27.08.2011
5. निविदा फार्म शुल्क की नकद राशि रसीद संख्या ....दिनांक .... द्वारा जमा करा दी गई है अथवा निविदा प्रपत्र विभागीय वेबसाइट से डॉउनलोड करके निर्धारित निविदा शुल्क के बैंक ड्राफ्ट संख्या ...., दिनांक............. प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर के पक्ष में जमा करा दिया गया है।
6. हम प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर द्वारा जारी की गई निविदा सूचना संख्या 217/दिनांक 27.08.2011 में वर्णित शर्तो से तथा संलग्न शीट में दी गयी उक्त निविदा सूचना की अतिरिक्त शर्तो से बाध्य होना स्वीकार करते हैं (इनके सभी पृष्ठों पर उनसे उल्लेखित शर्तो को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रमाण स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं)।
7. निविदा फार्म के साथ संलग्न प्रपत्र 'ब' में मुद्रण कार्य संबंधी दरें सभी करो व आनुषंगिक प्रभारो सहित अंकित है। ब्रिक्री कर/वैट/केन्द्रीय ब्रिक्री कर की दरें पृथक से दर्शाई जानी है।
8. बाह्य रोगी उपचार पत्र मुद्रित सामग्री की आपूर्ति अंतिम प्रूफ अनुमोदन की दिनांक से 10 दिवस की अवधि में कर दी जाएगी। विभाग द्वारा आवश्यकतानुसार आपूर्ति अवधि में कमी या वृद्धि की जा सकती है।

9. बाह्य रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य हेतु **प्रपत्र 'ब'** में दी गई दरें अनुमोदन की तिथि से 4 माह तक के लिए हैं जिसे आपसी सहमति से 2 माह के लिए बढ़ाया जा सकता है, तथा कार्य विभिन्न आकारों एवं चरणों में विभाग की आवश्यकतानुसार आपूर्ति कर दी जाएगी।

10. निविदा सूचना में अंकित अमानत राशि के रूप में बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चैक निविदा फार्म के साथ संलग्न हैं जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्र.सं.	विवरण	राशि (रू.)

11. निविदा फार्म के साथ बिक्री कर पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा बिक्रीकर चुकता प्रमाण पत्र संलग्न है।

12. विनिर्माता/डीलर आदि होने का घोषणा पत्र संलग्न है।

13. टर्न ओवर प्रमाण पत्र संलग्न है।

14. पूर्व में मुद्रण कार्य/समान प्रवृत्ति के मुद्रण कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र संलग्न है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

<u>बाह्य रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य के लिए निर्धारित अन्य शर्ते</u>

1. निविदा सूचना में प्रकाशित सभी शर्ते इस निविदा का भाग मानी जाएगी।
2. केवल निविदा फार्म के साथ संलग्न **प्रपत्र 'ब'** में ही मुद्रक अपनी दरें दर्शाएँ। विभागीय प्रोफार्मा के अतिरिक्त दी गई दरें मान्य नहीं होंगी। प्रपत्र ब में दी गई दरें शब्दों एवं अंकों में स्पष्ट अन्य पत्र पर अंकित कर दी गई है। इसमें कोई कांट छांट (Over writting) नहीं है।
3. निविदा दो लिफाफे में प्रस्तुत की जाएगी जिसमें से एक लिफाफे में "तकनीकी बिड" लिखा हो, इसमें निविदा फार्म, प्रपत्र 'अ', फर्म से संबंधित प्रमाण पत्र, घोषणा विवरण पत्र एवं वांछित समस्त प्रमाण पत्र तथा धरोहर राशि, सूचनाएँ पत्रादि बन्द हो तथा दूसरा लिफाफा, जिस पर वित्तीय बिड लिखा हो, में दरों का प्रपत्र 'ब' बन्द होना चाहिए। ये दोनों लिफाफे एक अलग (तीसरे) लिफाफे में जिस पर बडे अक्षरों में **<u>बाह्य रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य हेतु निविदा</u>** लिखा हो, में बन्द होनी चाहिए।
4. दरों के लिफाफे के ऊपर "वित्तीय बिड" एवं निविदा फार्म व प्रमाण पत्र वाले लिफाफे पर "तकनीकी बिड" अंकित होना चाहिए।
5. **<u>विभाग द्वारा सर्वप्रथम तकनीकी बिड का लिफाफा खोला जाएगा जिसमें निम्नांकित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने होंगे :–</u>**
   (i) निविदा फार्म (मय हस्ताक्षर व मोहर)
   (ii) अमानत राशि का बैंकर चैक/बैंक ड्राफ्ट (राजस्थान की लघु उद्योग इकाई को निर्धारित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर धरोहर राशि में नियमानुसार छूट देय होगी)।
   (iii) दिनांक 31.3.2010 का बिक्री कर चुकता प्रमाण पत्र एवं आयकर पेनकार्ड की प्रमाणित छाया प्रति।
   (iv) मशीनरी से संबंधित विवरण (प्रपत्र 'अ' के विवरण के अनुरूप ही ऑफसैट का होना आवश्यक है। ऑफसैट के कय से संबंधित आवश्यक बिल/दस्तावेज प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है।
   (v) वित्तीय स्थिति के संबंध में बैंक से हैसियत प्रमाण पत्र।
   (vi) फर्म के मुद्रण संबंधी कार्यो के पिछले तीन वर्षो में से किसी एक वर्ष का टर्नओवर कार्य की अनुमानित लागत से तीन गुना या उससे अधिक होना आवश्यक है। निविदादाता फर्म द्वारा ऑडिटेड़ बैलेन्स शीट की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाए।
   (vii) मशीनरी की क्षमता एवं मानव शक्ति के संबंध में आवश्यक जानकारी।
   (viii) यदि फर्म लघु उधोग इकाई है तो सक्षम विभाग/अधिकारी द्वारा जारी लघु उधोग इकाई का स्थाई प्रमाण पत्र।
   (ix) फर्म के लैटर पैड पर विनिर्माता/डीलर आदि का घोषणा पत्र (संलग्न प्रारूप में)।
   (x) निविदादाता यदि फर्म/कम्पनी है तो अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो इस निविदा के लिये विशेष रूप से फर्म/कम्पनी द्वारा अधिकृत किया गया है। उसका नाम, पता तथा फर्म/कम्पनी में उसकी स्थिति (Status) का उसके हस्ताक्षर प्रमाणित करते हुए स्पष्ट उल्लेख करेगा। विभाग अन्य किसी से इस संबंध में सम्पर्क नहीं करेगा।
   (xi) टर्न ओवर प्रमाण पत्र।
   (xii) पूर्व में मुद्रण कार्य/समान प्रवृत्ति के मुद्रण कार्य के लिए किसी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं होने का प्रमाण पत्र।
6. तकनीकी योग्यता नहीं रखने वाली फर्मो की वित्तीय बिड नहीं खोली जाएगी। तकनीकी योग्यता रखने वाली फर्मो द्वारा दी गई जानकारी का सत्यापन आवश्यकता होने पर विभागीय तकनीकी समिति द्वारा किया जा सकता है। निरीक्षण की स्थिति में यदि कोई तथ्य गलत पाया जाता है तो उस फर्म की तकनीकी निविदा को रद्द कर दिया जाएगा।
7. बयाना राशि राजस्थान की लघु उद्योग इकाइयों से प्रदाय के लिए प्रस्तावित मात्रा के मूल्य की 0.5 प्रतिशत और प्रतिभूति राशि आदेशित मात्रा के मूल्य की 1 प्रतिशत ली जाएगी। अतः यदि फर्म लघु उधोग इकाई के अन्तर्गत पंजीकृत है तो फर्म को तकनीकी निविदा के साथ वे उन सामानों के संबंध में, जिनके लिए वे रजिस्टर्ड हैं, निदेशक, उद्योग विभाग राजस्थान जयपुर

द्वारा जारी किए गए लघु उद्योग इकाइयों के पंजीयन की मूल प्रति या राजपत्रित अधिकारी द्वारा विधिवत् प्रमाणित फोटो स्टेट प्रति प्रस्तुत करेंगे।

8. राजस्थान के बाहर की फर्मो तथा राजस्थान के भीतर की उन फर्मो, जो सामान्य वित्तीय व लेखा नियम राजस्थान सरकार के नियमों के अन्तर्गत मूल्य अधिमान (Price Preference) की हकदार नही है, द्वारा निविदत्त दरों की तुलना करने में, राजस्थान ब्रिक्री कर/वैट की राशि को शामिल नहीं किया जाएगा जबकि केन्द्रीय ब्रिक्री कर को इसमें शामिल किया जाएगा। अर्थात् स्थानीय व बाहरी फर्मो द्वारा प्रस्तुत दरों की तुलना में, स्थानीय फर्म की दर से ब्रिक्री कर/वैट को पृथक किया जाएगा जबकि बाहरी फर्म प्रस्तुत दर में केन्द्रीय ब्रिक्री कर को सम्मिलित किया जाएगा।

9. मूल्य अधिमान, राजस्थान के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों को राजस्थान के बाहर के उद्योगों द्वारा उत्पादित या विनिर्मित मालों पर भण्डार क्रय (राजस्थान के उद्योगों को अधिमान) नियम, 1995 व समय–समय पर संशोधन अनुसार दिया जाएगा।

10. निविदायें, उनके खोले जाने की तारीख से तीन माह की अवधि के लिए विधिमान्य होगी।

11. परीक्षणों के मामले में, निविदादाता या उसके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति में चार सेटों में नमूने लिए जाएंगे तथा उन्हें उनकी उपस्थिति में उचित प्रकार से मुहरबन्द किया जाएगा। उनमें से एक सैट उन्हें दे दिया जाएगा, एक या दो सैटों को प्रयोगशालाओं एवं/या परीक्षण गृहों में भिजवा दिया जाएगा तथा तीसरा या चौथा सैट संदर्भ एवं अभिलेख के लिए कार्यालय में प्रतिधारित किया जाएगा।

12. फर्म को मुद्रित कागज पर बाह्य रोगी उपचार पत्र मुद्रण कार्य की आपूर्ति अंतिम प्रूफ अनुमोदन की दिनांक से निर्धारित अवधि में पूर्ण करनी होगी। विभाग द्वारा मुद्रण कार्य हेतु विषय वस्तु फर्म को उपलब्ध करवाई जाएगी जिसकी फर्म द्वारा डिजाईन तैयार कर उसका अनुमोदन प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर द्वारा करवाया जाना होगा तथा अंतिम प्रूफ अनुमोदन के पश्चात ही मुद्रण कार्य प्रारम्भ किया जाएगा। प्रूफ/डमी को विभाग द्वारा अनुमोदित किये जाने के उपरान्त भी यदि अंतिम मुद्रण में त्रुटियां रह जाती है तो ऐसी स्थिति में त्रुटियों का शुद्धि पत्र फर्म को स्वयं के खर्चे पर मुद्रित कर विभाग को उपलब्ध करवाना होगा एवं उक्त त्रुटि संशोधन के कारण सुपुर्दगी अवधि में वृद्धि होने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमो के अनुसार परिनिर्धारित क्षति की राशि फर्म को देय राशि में से काटी जाएगी।

13. **बाह्य रोगी उपचार पत्र** मुद्रण कार्य निविदा एवं कार्यादेश की शर्तो के अनुसार पूर्ण करने पर प्रस्तुत बिलों का भुगतान निगम द्वारा एक माह में किया जाएगा। किन्तु यदि किसी विशेष परिस्थिति में एक माह से अधिक समय लगता है तो उस दशा में फर्म को भुगतान योग्य राशि पर किसी प्रकार का ब्याज या अन्य प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नहीं दिया जाएगा।

14. कागज, विद्युत, पानी, स्याही, डीजल, पेट्रोल व अन्य किसी मद की दरों में वृद्धि होने पर फर्म को कोई अतिरिक्त भुगतान देय नहीं होगा।

15. मुद्रक को मुद्रित सामग्री कार्यादेश में उल्लेखित विधि से बण्डलों में पैक कर निगम के राजस्थान के समस्त 33 जिला मुख्यालयों पर स्थित 34 जिला औषधि भण्डार गृहो (DDWs) में पहुँचानी होगी।

16. निविदा के साथ धरोहर राशि सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम, राजस्थान सरकार के अन्तर्गत प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को देय बैंक ड्राफ्ट/बैंकर चेक द्वारा जमा करवाई जाएगी।

17. फर्म को आदेशित सामग्री का निर्माण आदेशित कागज पर विभिन्न निर्धारित जी.एस.एम. एवं साईज में ही करना होगा। इससे जी.एस.एम. एवं साईज में कमी पर नियमानुसार अनुपातिक राशि बिल में से काटी जाएगी। आपूर्ति के मापदण्डों में सारभूत परिवर्तन किये जाने पर निगम को आपूर्ति अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार होगा एवं फर्म के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही भी संपादित की जाएगी।

18. निविदादाता को किसी भी प्रकार का कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। प्रत्येक कार्यादेश का कार्य संतोषप्रद रूप से पूर्ण होने, विभाग में स्वीकार करने एवं सामग्री का नियमानुसार प्रयोगशाला परीक्षण करवाने के बाद ही भुगतान की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी।

19. बिना धरोहर राशि के निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा एव निविदा [illegible] जाएगी।
20. निविदादाता निविदा कार्य तथा शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा निविदा के अंतिम पृष्ठ पर सभी शर्तो को सम्पूर्ण रूप से स्वीकार करने की सहमति देते हुए अलग से हस्ताक्षर करेगा।
21. सफल निविदादाता को आदेशित मूल्य की 5 प्रतिशत प्रतिभूति राशि जमा करानी होगी। राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट प्रबंधक निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर के पक्ष में देय होगा। अमानत राशि, प्रतिभूति राशि में सम्मिलित की जा सकेगी। उक्त प्रतिभूति राशि सफलतापूर्वक मुद्रित सामग्री आपूर्ति करने के पश्चात लौटायी जा सकेगी। विभाग के साथ कार्य सम्पादन के संबंध में एग्रीमेन्ट भी करना होगा।
22. निविदा फार्म में किसी प्रकार की कॉट छॉट व ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। किसी भी तरह का संशोधन अस्वीकार्य होगा।
23. बातचीत केवल अपवादिक परिस्थितियों में ही निम्नतम निविदाकारों से की जाएगी जहां रिंग मूल्य उद्धरित किये गये हो या दरें अत्यन्त विचारणीय हो और क्रय समिति द्वारा प्रचलित बाजार दरों से अत्यधिक ऊची समझी जायें। बातचीत के पश्चात भी यदि प्रतिस्पर्धात्मक या उचित और युक्तियुक्त दरें प्राप्त नहीं होती है तो क्रय समिति निविदा को नामजूर करने व पुनः आमंत्रित करने का विनिश्चय कर सकती है।
24. किसी भी निविदा को स्वीकार या अस्वीकार करने का पूर्ण अधिकार प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को होगा।
25. निर्धारित समय में कार्य सम्पन्न नहीं करने पर सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के अन्तर्गत नियमानुसार लिक्विडेटेड डेमेज राशि 2.5 से 10.0 प्रतिशत वसूल की जाएगी (आपूर्ति की वास्तवित अवधि को दृष्टिगत रखते हुए)।
26. सफल निविदादाता के पूर्ण रूप से अथवा आंशिक रूप से मुद्रित सामग्री प्रदान करने में असफल रहने पर अथवा कार्य संतोषजनक नहीं करने पर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को यह अधिकार होगा कि अनुमोदित फर्म के हर्जे खर्चे पर अन्य व्यवस्था द्वारा आदेशित कार्य अन्य मुद्रक से करा सकेंगे। इसके साथ ही धरोहर/प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ली जाएगी एवं फर्म के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही जैसे फर्म को ब्लैकलिस्ट करना इत्यादि संपादित की जाएगी।
27 मुद्रण कार्य विभाग के निर्देशानुसार अनुमोदित डिजाइन के अनुसार करना होगा।
28. सफल निविदादाता द्वारा किसी भी शर्त का उल्लंघन करने पर अथवा किसी भी शर्त को पूर्ण नहीं करने पर प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर को यह अधिकार होगा कि कार्य हेतु दिये गए आदेशों को रद्द करते हुए निविदादाता की प्रतिभूति राशि आंशिक या पूर्ण रूप से जब्त कर ले।
29. किसी भी उत्पन्न विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र, जयपुर (राजस्थान) होगा।
30. निविदा की अन्य शर्ते सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों (भाग–II) के नियम 68 "खुली निविदा के लिए निविदा एवं संविदा की शर्ते") के अनुसार लागू होंगी।
31. किसी राजकीय विभाग अथवा उपक्रम द्वारा ब्लेक लिस्टेड फर्म निविदा प्रस्तुत करने के लिए अपात्र मानी जाएगी, यदि ऐसी फर्म इस तथ्य को छिपाते हुए अपनी निविदा प्रस्तुत करती है तो उस फर्म की अमानत/प्रतिभूति राशि जब्त करते हुए आपराधिक प्रकरण दर्ज करवाया जाएगा।
32. निविदा प्रपत्र दिनांक 05.09.2011 को दोपहर 12.00 बजे तक प्रबन्ध निदेशक, राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर के यहाँ से प्राप्त किये जा सकते है एवं दिनांक 05.09.2011 को 03.00 बजे तक जमा कराए जा सकते है। दिनांक एवं समय के पश्चात प्राप्त होने वाले निविदा प्रपत्र/प्रपत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा।

प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी

मैंने/हमने उपर्युक्त सभी शर्तो का सावधानी पूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम उपर्युक्त सभी शर्तो से प्रतिबन्धित रहूँगा/रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर

(बाह्य रोगी उपचार पत्र मुद्रक निविदा फार्म के साथ प्रिंटिंग प्रेस संबंधी निम्नलिखित सूचना भी सलंग्न करें)

1. प्रिंटिंग प्रेस का नाम ....
2. प्रिंटिंग प्रेस का पूरा पता ....

   ....
3. प्रोपराइटर/साझेदार का नाम व घर का पता

   अ. ....

   ब. ....

   स. ....
4. फोन नंबर (कार्यालय) .... निवास...

   मोबाईल नंबर .... फैक्स नंबर ....
5. यदि प्रेस का रजिस्ट्रेशन प्रेस एवं फैक्ट्री एक्ट के अन्तर्गत किया हुआ है तो उसकी एक प्रति संलग्न करें।
6. यदि प्रेस निदेशक, उद्योग राजस्थान, जयपुर से लघु इकाई के रूप में पंजीकृत है तो उसकी प्रति संलग्न करें।
7. वित्तीय स्थिति के संबंध में बैंक से हैसियत प्रमाण पत्र
8. फर्म के मुद्रण संबंधी कार्यो के पिछले तीन वर्षो में से किसी एक वर्ष का टर्नओवर जो कि कार्य की अनुमानित लागत से तीन गुना या उससे अधिक होना आवश्यक है।
9. मशीनरी से संबंधित विवरण **(प्रपत्र 'अ' के विवरण के अनुरूप ही मुद्रण की मात्रा व आपूर्ति अवधि के अनुसार क्षमता (15 लाख प्रतिदिन) की ऑफसैट का होना आवश्यक है। ऑफसैट के क्रय से संबंधित आवश्यक बिल/दस्तावेज प्रपत्र के साथ संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जाएगी)।**

(अ) कार्यरत आफसैट प्रेस

क.सं.	आफसैट मशीनों का विवरण मय मार्क	साईज	कलर	स्वचालित या हस्त चालित	इम्प्रेशन प्रति घंटा

(ब) प्रोसेसिंग एवं कम्पोजिंग का विवरण

1. फोटो कैमरा / स्कैनर ....

2. प्लेट मेकिंग / ब्लाक मेकिंग ....

3. फोटो टाईप सेंटर / डी.टी.पी.उपकरण ....

(स) बाइण्डिग मशीनरी उपकरण

1. कटिंग मशीन की संख्या :– ....

2. फोल्डिंग मशीन की संख्या :– ....

3. स्टेचिंग मशीन की संख्या :– ....

11. प्रेस में कार्यरत श्रमिकों की संख्या :– ....

1. कार्यालय :– ....

2. प्रोसेसिंग शाखा :– ....

3. मुद्रण शाखा :– ....

4. बाइण्डिंग शाखा :– ....

12. साप्ताहिक अवकाश ....

निविदादाता के हस्ताक्षर

राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन, जयपुर

प्रपत्र – 'ब'

निविदा खोलने की दिनांक :– 05.09.2011 को समय सांय 5.00 बजे टेण्डर फार्म का मल्य :– 500 रू.
प्रस्तावित निविदा दरें टेण्डर फार्म जमा कराने की तिथि :– 05.09.2011 को 3.00 बजे तक

क्रं. सं.	कार्य का विवरण	दर प्रति सरस पैड (50+50)		
1.	बाह्य रोगी उपचार पत्र मुद्रण–कार्बन लैस पेपर 58 जीएसएम (प्रथम प्रति सफेद एवं द्वितीय प्रति पीली) विथ लोक **आकार –** 8.50" X 5.50" अनुमानित संख्या –1 (एक) करोड **(50+50 बाह्य रोगी उपचार पत्रों के सैट सरस पेड पर तैयार करने होगें)**	मूल्य समस्त आनुषांगिक प्रभारों सहित ब्रिकी कर/वैट को छोडकर	ब्रिक्रीकर/वैट की दर	कुल मूल्य

नोट :– दरों का अंकन अंको व शब्दों में किया जाना आवश्यक होगा तथा ब्रिक्री कर/वैट पृथक से दर्शाया जाना है।

निविदादाता के हस्ताक्षर

<u>नियम एवं शर्ते</u> :–

1. बण्डल पैकिंग विभागीय निर्देशानुसार मलट पेपर (खाकी पेपर) से छः ओर पैकिंग की जानी होगी।
2. पैकिंग के ऊपर विभाग द्वारा जारी विवरण रेपर टंकित कर लगाया जाना होगा।
3. बण्डल पैकिंग व विवरण रेपर की दरें उक्त कार्य में सम्मलित मानी जाएगी।
4. बाईन्डिंग कार्य में विभिन्न प्रकार के गत्ता कार्य, गम की आवश्यकता होने पर बाईन्डिंग कार्य की दर पृथक से देय नहीं होगी।
5. फर्म के पास मुद्रण की मात्रा व आपूर्ति अवधि के अनुसार पर्याप्त ऑफसेट मशीन होना अनिवार्य है अर्थात् 15.00 लाख बाह्य रोगी उपचार पत्र मुद्रण क्षमता प्रतिदिन होनी चाहिए। साथ ही प्रिन्टिंग, बाईन्डिंग, प्रोसेसिंग, प्लेट मेकिंग आदि समस्त कार्य एक ही परिसर में होना चाहिए।

निविदादाता के हस्ताक्षर

संलग्नक –I

वार्षिक टर्न ओवर प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि फर्म ....का विगत तीन वर्षो का टर्न ओवर निम्नानुसार है। प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रमाण पत्र सत्य व सही है।

क्र.सं.	वर्ष	टर्न ओवर (राशि लाखों में)
1.	2008–09	
2.	2009–10	
3.	2010–11	

दिनांक :–

अंकेक्षक / सनदी लेखाकार का
नाम मय हस्ताक्षर एवं पंजीकरण
संख्या

निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने जिन मालों/सामानों/उपकरणों के लिए निविदा दी है, उनका/उनके/मैं/हम बोनाफाइड विनिर्माता/थोक विक्रेता/ सोल वितरक/प्राधिकृत डीलर/डीलर/सोल विक्रय/विपणन एजेन्ट हूँ/हैं।

यदि यह घोषणा असत्य पायी जाए तो किसी भी अन्य कार्रवाई, जो की जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से (forfeited) कर किया जा सकेगा तथा निविदा को, जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द किया जा सकेगा।

निविदादाता के हस्ताक्षर

संलग्नक –III

निविदादाता द्वारा घोषणा

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करते हैं, कि हमने जिन प्रिन्टिंग/स्टेशनरी सामग्रियों/ कार्बन लेस पेपर पर मुद्रण सामग्री की जहां कही भी आपूर्ति की है, उस आपूर्ति में विगत 3 वर्षो में आपूर्ति Sub Standard होने के कारण हमें किसी भी सरकारी विभाग/ उपक्रम/कम्पनी द्वारा ब्लैकलिस्ट नहीं किया गया है।

हम यह भी घोषणा करते है कि हमारे विरूद्ध किसी भी न्यायालय में सामान प्रदायगी के संबंध में कोई वाद लम्बित नहीं है तथा इस विषयान्तर्गत हमें किसी भी न्यायालय द्वारा दण्डित नहीं किया गया है।

निविदादाता के हस्ताक्षर